# न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

| पत्रावली संख्या | प्रविष्टि दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| मैनुअल नं. 17/रेगूलर/2025 ( GCMS No. 2025/106 ) | 04.08.2025 | 16.09.2025 |

सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक
रसद कार्यालय, हिण्डोली।

– प्रार्थी

बनाम

श्री छोटूलाल मीणा पुत्र रामकिशन मीणा,
उचित मूल्य दुकानदार, नन्दगांव
तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।

– अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार रसद।
अप्रार्थी की ओर से श्री संजय कुमार जैन, एडवोकेट।

## निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 न्यायालय में प्रस्तुत कर जब्तशुदा कुल 23.35 क्विंटल गेहूँ को राजसात कर निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय में पंजिका क्रमांक 17/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2025/106 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 11.05.2016 को उपस्थित न्यायालय आकर अपना जवाब पेश किया हुआ है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 04.12.2013 को सायंकाल राशन का गेहूँ कृषि उपज मण्डी, बून्दी में लगभग 20 बोरी गेहू कालाबाजारी में बेचे जाने की सूचना पर प्रवर्तन निरीक्षक बून्दी दिनांक 05.12.2013 को प्रातः 9 बजे मण्डी प्रांगण बून्दी पहुचकर गेहू की उपस्थित गवाहों के समक्ष तश्दीक की गई। तत्पश्चात प्रातः 10 बजे उचित मूल्य दुकान नन्दगांव ग्राम पंचायत रामचन्द्रजी का खेडा पहुचकर उचित मूल्य दुकान का रिकार्ड की जांच की गई। मौके पर उचित मूल्य दुकानदार स्वयं उपस्थित नही मिला, बल्कि उसकी पत्नी श्रीमती संजु मीणा मौके पर मिली। छोटूलाल मीणा का बीमार होना बताया गया तथा श्रीमती संजु मीणा द्वारा ही दुकान का वितरण व स्टॉक रिकार्ड उपलब्ध करवाया। श्रीमती संजु मीणा एवं मौके पर गवाहान की उपस्थिति में दुकान के अन्दर रखे राशन सामग्री के स्टॉक की जांच की गई। दुकान के भीतर किसी योजना का कोई स्टॉक नहीं पाया गया। उपलब्ध रिकार्ड की मदवार जांच करने एवं खाद्य सुरक्षा के लाभान्वित उपभोक्ताओं के बयानों के आधार पर प्रथमदृष्टया वितरण में अनियमितता पाई जाने पर उचित मूल्य दुकान का वितरण व स्टॉक रिकार्ड जब्त किया गया। शिकायतकर्ताओं के बयानानुसार कृषि उपज मण्डी बून्दी में उचित मूल्य दुकानदार नन्दगांव श्री छोटूलाल मीणा के पिता श्री रामकिशन मीणा द्वारा दिनांक 04.12.2013 को उक्त राशन के गेहूं मण्डी में बेचने हेतु लाये गये थे। मण्डी प्रवेश रिकार्ड अनुसार श्री रामकिशन मीणा ग्राम नन्दगांव द्वारा रसीद नं.2518 जिल्द सं.99 दिनांक 04.12.2013 से मण्डी में गेहूं लाना पाया गया। इस प्रकार उक्त मण्डी प्रांगण में दिनांक 04.12.2013 को राशन डीलर के पिता रामकिशन मीणा द्वारा गेहूं राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को वितरण नहीं कर कालाबाजारी के प्रयोजन के लिए लाया जाना संभावित पाया गया। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार नन्दगांव श्री छोटूलाल मीणा पुत्र रामकिशन मीणा द्वारा नियम विरूद्ध कृत्य कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 की धारा 3 व 20 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की धाराओं 1, 2, 5, 8, 9, 11, 17 एवं 18 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः उक्त 23.85 क्विं. गेहूं को मण्डी प्रांगण से जब्तराज किया जाकर रूबरू मोतबिरान श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री सुरेश कुमार जैन निवासी चन्द्रशेखर कोलोनी तालेडा हाल कार्मिक पीडीएस प्रभारी बूंदी जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. बून्दी की सुपुर्दगी में दिया गया। पेरोकार सरकार द्वारा उक्त जप्तशुदा 23.35 क्विंटल गेहू को राजसात करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस जवाब प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 15.12.2013 को वक्त जांच अप्रार्थी की तबीयत 5–7 रोज से खराब चल रही थी, इस कारण अप्रार्थी की पत्नी मौके पर दुकान पर मौजूद थी जिसके द्वारा जांच में पूर्ण सहयोग किया गया। अप्रार्थी ने राशन का गेहूँ कभी भी मण्डी में विक्रय नहीं किया है। कुछ लोगों की दुर्भावना के कारण एवं उनकी झूठी शिकायतों के आधार पर प्रार्थी द्वारा अन्य किसी के गेहूँ को अप्रार्थी के राशन के गेहू से जोड़ कर कार्यवाही प्रस्तुत की गई है, जो सरासर गलत है। जबकि अप्रार्थी के पिता रामकिशन जी स्वयं एक किसान है जो अपनी कृषि भूमि से प्राप्त उपज को मण्डी में बेचने गये थे। जिसे प्रार्थी द्वारा राशन का गेहू बताया जाना गलत है। वास्तविक स्थिति यह है कि खाद्य सुरक्षा योजना में पूरा आवंटन प्राप्त नहीं हो रहा था, उक्त योजना में प्राप्त आवंटन के अनुसार ही अप्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण गेहू का वितरण नियमानुसार उपभोक्ताओं में कर दिया था। इसलिए वक्त जांच दुकान पर स्टॉक में गेहू नहीं था। कम आवंटन प्राप्त होने से कुछ उपभोक्ता का गेहूं से वंचित रहना स्वाभाविक है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में लगाये गये उक्त आरोप असत्य एवं निराधार होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाकर कार्यवाही समाप्त की जावे।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया गया, जिससे ज्ञात हुआ है कि उचित मूल्य दुकानदार श्री छोटूलाल मीणा के पिता श्री रामकिशन मीणा द्वारा दिनांक 04.12.2013 को करीब 20 बोरी राशन के गेहू कृषि उपज मण्डी, बून्दी बेचने के लिए लेकर जाने की सूचना मिलने पर प्रवर्तन निरीक्षक बून्दी द्वारा मण्डी प्रांगण में मौके पर उपिस्थत गवाहों के समक्ष तश्दीक की गई तथा दिनांक 05.12.2013 को उचित मूल्य दुकानदार नन्दगांव की दुकान के रिकार्ड की जांच की गई। उचित मूल्य की दुकान पर श्री छोटूलाल मीणा के स्थान पर उसकी पत्नी मौजूद मिली। जांच के दौरान दुकान में किसी योजना का कोई स्टॉक नहीं पाया गया। उपस्थित गवाहों एवं खाद्य सुरक्षा के लाभांवित उपभोक्ताओं के बयानों के आधार पर उचित मूल्य दुकान पर अनियमितता पाई जाने पर उचित मूल्य का वितरण व स्टॉक रिकार्ड जब्त किया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उसकी उचित मूल्य की दुकान का गेहू अपने पिता के द्वारा मण्डी में बेचना कालाबाजारी को प्रमाणित करता है। ऐसे में उक्त 23.35 क्विंटल गेहूं को मण्डी प्रांगज से जब्तराज कर श्री मनीष कुमार जैन पुत्र सुरेश कुमार जैन निवासी चन्द्रशेखर कोलोनी तालेडा हाल कार्मिक पीडीएस प्रभारी बूंदी जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. बून्दी की सुपुर्दगी में दिया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

यहां उल्लेखनीय है कि राशन का गेहूं आवश्यक वस्तु होने से उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा चयनित राशनकार्ड धारकों को अनुदानित दर पर निर्धारत मात्रा में राज्य सरकार के निर्देशानुसार वितरित किया जाकर स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में नन्दगांव स्थित अप्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान पर स्टॉक रजिस्टर में दर्ज मात्रा का गेहू मौके पर उपलब्ध नहीं होना तथा उचित मूल्य के गेहूँ को उपभोक्ताओं को वितरण न करके उचित मूल्य से अधिक दर पर कृषि उपज मण्डी बून्दी में बेचने के लिए अपने पिता रामकिशन मीणा द्वारा लेकर जाना कालाबाजारी को इंगित करता है। अप्रार्थी द्वारा दुकान पर कम आवंटन होना तथा मण्डी में जब्त किया गया गेहूं उसकी उचित मूल्य की दुकान का गेहू नहीं होना बताया है किन्तु गवाहान के बयान एवं दुकान के रिकार्ड के तथ्यों के विपरीत अप्रार्थी का जवाब संतोषजनक नहीं होना पाया गया। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 की धारा 3 व 20 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की धाराओं 1, 2, 5, 8, 9, 11, 17 एवं 18 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थी के पास स्टॉक रजिस्टर अनुसार गेहू प्राधिकृत दुकान पर उपलब्ध नहीं होना तथा राशन के गेहू को अवैध रूप से मण्डी में बेचने के उद्देश्य से लेकर जाने का कार्य करना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर जप्तशुदा 23.35 क्विंटल गेहूँ को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, बून्दी को आदेशित किया जाता है कि वह जप्तशुदा 23.35 क्विंटल गेहूं को नियमानुसार उचित माध्यम से विक्रय करवाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवावें। उक्तानुसार तत्काल पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार की जाकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 16.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अक्षय गोदारा )
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी